

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।  
 वनादेश संख्या 06/11-13 देहरादून, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023

स्थानान्तरण/तैनाती आदेश

मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 23.03.2023 को परित आदेश के क्रम में वन क्षेत्राधिकारियों को क्षेत्रीय रेंजों/यूनिट में तैनाती दिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-1 की पत्र संख्या 15059/GEN/1-2023-04(06)/2022 टी०सी०-2 दिनांक 30.08.2023 द्वारा 10 वन क्षेत्राधिकारियों को प्रभारी सहायक वन संरक्षक के रूप में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में टौन्स वन प्रभाग, पुरोला एवं चकराता वन प्रभाग, कालसी में अवैध पातन के सम्बन्ध में कतिपय वन क्षेत्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा कई वन क्षेत्राधिकारी सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप रेंजों में वन क्षेत्राधिकारियों की कमी उत्पन्न हो गई है।

प्रभागों में उपलब्ध रिक्तियों/मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण/वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन/अवैध पातन/खनन को दृष्टिगत रखते हुए सुचारु रूप से सुनिश्चित करने हेतु संवेदनशील वन प्रभागों में वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती करने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में निम्नलिखित कार्मिकों को जनहित के आधार पर "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-21(3) में दिये प्राविधानों के अनुसार स्वेच्छा के आधार पर निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती तात्कालिक प्रभाव से स्तम्भ 04 में अंकित प्रभाग में की जाती है :-

क्र० सं०	वन क्षेत्राधिकारी का नाम	वर्तमान प्रभाग का नाम	नवीन तैनाती का प्रभाग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री देवेन्द्र कुमार राय	कार्ययोजना पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	स्वेच्छा से (पिथौरागढ़ वन प्रभाग की कार्ययोजना समाप्ति के उपरान्त उपस्थिति देंगे।)
2	श्री मनोज सनवाल	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा	स्वेच्छा से
3	श्री यशवन्त सिंह चौहान	रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	स्वेच्छा से
4	श्री प्रदीप सिंह द्वितीय	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	स्वेच्छा से (श्री प्रताप सिंह पवार, वन क्षेत्राधिकारी के सेवा निवृत्ति के उपरान्त नई तैनाती हेतु योगदान देंगे।)
5	श्री हेमन्त बिष्ट	कार्ययोजना अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	स्वेच्छा से (अपर यमुना बड़कोट वन प्रभाग की कार्ययोजना समाप्ति के उपरान्त उपस्थिति देंगे।)
6	श्री मेधावी कीर्ति	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	स्वेच्छा से
7	श्री पंकज ध्यानी	केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	स्वेच्छा से
8	श्री मुकेश रतूडी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	स्वेच्छा से
9	श्री शिव प्रसाद शैरोला	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	स्वेच्छा से

JM



10	श्री सुभाष चन्द्र घिल्डियाल	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी	स्वेच्छा से
11	श्री कैलाश चन्द्र गुणवन्त	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत	स्वेच्छा से
12	श्री विजय सिंह नेगी	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	टिहरी डैम द्वितीय वन प्रभाग, उत्तरकाशी	स्वेच्छा से
13	श्री विनोद चाँहान	वन वर्धनिक, पर्वतीय, नैनीताल	चकराता वन प्रभाग, कालसी	स्वेच्छा से

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी तत्काल प्रभाव से उक्त वन क्षेत्राधिकारियों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त वन क्षेत्राधिकारियों को तत्काल अपने प्रभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय रेंज का कार्यभार ग्रहण करवाकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रस्तुत करें।



(अनूप मलिक)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या 639 / 1-13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।



(अनूप मलिक)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या 639 / 1-13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. आदेश में अंकित सम्बन्धित कार्यालय/प्रभाग।
6. आदेश में अंकित सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- ✓ 8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई.टी. एवं आधुनिकीकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड बुक।

I.T.U.C  
विभागीय वेबसाइट में  
अपलोड करें।

मु.व.सं.  
आ.० 11/10



(अनूप मलिक)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

उत्तराखण्ड।